क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि...
No Instruction (प्रतिवादी)	२१|५|२५	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर "No Instruction plead" किया। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड पर अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं.1 व 4 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात को स्वीकार किए जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा संलग्न नक्शे के अनुसार तहसीलदार तूंगा द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये गए है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः न्यायहित में वाद की अंतिम डिक्री की जाती है। निर्णय पृथक् से विस्तृत रूप से टंकित हो शामिल पत्रावली हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दर्ज नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारीः— कनक जैन (आर.ए.एस.)

वादी

1. बरदी देवी पत्नि सोहनलाल जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 25, चित्रकूट कॉलोनी बगराना आगरा रोड, जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. रामेश्वर
2. छाजू
3. काना
4. भींवा
5. लल्लूलाल
6. प्रहलाद पुत्रान गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम देवगांव तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर।
7. तहसीलदार बस्सी हाल तहसीलदार तूंगा, तहसील तूंगा जिला जयपुर।

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955

मु0न0 95/2019 निर्णय दिनांक 29.04.2024

वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक तहसीलदार तूंगा विभाजन प्रस्ताव देनांक 04.01.2024 का अनुमोदन किया जाकर वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 201 रकबा 1.2519 हैक्ट स्थित ग्राम देवगांव प.ह. देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर में से खसरा न. 201/1 रकबा 0.6259 हैक्ट की भूमि खातेदार बरदीदेवी पत्नि सोहनलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा निवासी–25 चित्रकूट कॉलोनी बगराना के हिस्से में रहेगी एवं खसरा न. 201/2 रकबा 0.6260 हैक्ट की भूमि खातेदार काना पुत्र गोपाल हिस्सा 1/7 राहिन BOB बस्सी, छाजू पुत्र गोपाल हिस्सा 1/7, प्रहलाद पुत्र गोपाल हिस्सा 1/7, रामेश्वर पुत्र गोपाल हिस्सा 1/7, लल्लू पुत्र गोपाल हिस्सा 1/7, सुन्दर पत्नि गोपाल हिस्सा 1/7 बिना रहन, भींवा पुत्र गोपाल हिस्सा 1/7 राहिन SBI बस्सी समस्त जाति बैरवा सा. देह के हिस्से में रहेगी। कुर्रेजात व नक्शे बाद अनुमोदन उक्तानुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार तूंगा को भेजे जावें।..............
....निजी...मुबलिक.............................
बाबत..खर्चा ....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.............
फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक...................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 29.04.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त सहायक कलक्टर
ओहदा बस्सी जिला–जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबतइजराय			बावतइजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण